



2026:AHC:49023-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

विशेष अपील संख्या - 243/2026

अर्जुन उर्फ अर्जुन लाल प्रजापति

.....अपीलार्थी

बनाम

श्री मधुसूदन हुल्गी, जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर एवं अन्य विपक्षी

अपीलार्थी हेतु अधिवक्ता : राजनाथ यादव

विपक्षी हेतु अधिवक्ता :

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 2658/2025 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2026 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अवमानना याचिका को गलत कल्पित पाया गया है और उसे खारिज कर दिया गया है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह दलील देने का प्रयास किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अवमानना याचिका में उठाए गए मुद्दे पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया है और पूर्णतः बिना कारण बताए अवमानना याचिका को खारिज कर दिया गया है।
3. यह विशेष अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के तहत दायर की गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इस न्यायालय ने सुभाष चंद्र बनाम श्रीकांत गोस्वामी और 2 अन्य: 2024:AHC-LKO:58884-DB में, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार व्यवस्था दी थी:

"69. उपरोक्त चर्चा का सार, इसमें शामिल कानूनी सिद्धांत और वे परिस्थितियां जब अवमानना न्यायालय अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत अपील की जा सकती है और जब अवमानना अधिकार क्षेत्र में पारित आदेश के विरुद्ध विशेष अपील की जा सकती है, उन्हें निम्नानुसार संक्षिप्त किया जा सकता है:—

(क) अवमानना न्यायालय अधिनियम की धारा 19 (1) का सहारा तभी लिया जा सकता है जब अवमानना अदालत ने अवमानना के लिए दंडित करने के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया हो। इस प्रावधान का मूल सार उन निर्णयों के विरुद्ध उपचार प्रदान करना है जहाँ अदालत ने अवमाननाकर्ता को दंडित करने के लिए एक निश्चित कार्रवाई की है। इसमें वे आदेश शामिल हैं जो जुर्माने, कारावास या अवमाननापूर्ण व्यवहार से सीधे संबंधित अन्य दंडात्मक उपायों को लागू करते हैं। अंतरवर्ती आदेश, जिनमें अवमानना के लिए दंड शामिल नहीं है, धारा 19 के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे आदेशों में दस्तावेज पेश करने, हलफनामा दायर करने के निर्देश या अवमानना की कार्यवाही जारी रखने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक निर्देश शामिल हो सकते हैं। ये नियमित न्यायिक कार्रवाइयां हैं जो मामले की प्रगति को सुगम बनाती हैं लेकिन अवमानना के मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं होतीं। अवमानना की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पारित नियमित आदेश भी धारा 19 के दायरे से बाहर हैं। ये आदेश आमतौर पर प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्यवाही मूल मामले के गुण-दोष या अवमानना के गुण-दोष को संबोधित किए बिना आगे बढ़े।

(ख) मामले का मुख्य बिंदु इस बात की सूक्ष्म व्याख्या में निहित है कि अवमानना की कार्यवाही के संदर्भ में "गुण-दोष" क्या है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने मिदनापुर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मामले में संदर्भित किया है। "गुण-दोष" शब्द को किसी सीधे सूत्र में परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे अलग-अलग व्याख्याएं होती हैं। हालांकि, निर्णयों को समग्र रूप से पढ़ने पर कई प्रमुख पहलुओं पर स्पष्टता मिलती है। मिदनापुर मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अवमानना की कार्यवाही में, पक्षों के बीच विवाद के गुण-दोष से संबंधित किसी भी मुद्दे पर

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायनिर्णयन (adjudicate) या निर्णय लेना अनुचित है। इस सिद्धांत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अवमानना की कार्यवाही मूल विवाद में शामिल पक्षों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण न करे। अवमानना अधिकार क्षेत्र का ध्यान अदालत की गरिमा और अधिकार को बनाए रखने पर है, न कि अंतर्निहित विवाद को हल करने पर। इस संदर्भ में "गुण-दोष" शब्द मूल मामले के उन ठोस मुद्दों को संदर्भित करता है जिनके कारण अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई। इसमें वे मुख्य कानूनी और तथ्यात्मक प्रश्न शामिल हैं जो मूल मुकदमे में विवादित थे या हैं।

(ग) अवमानना के मामलों में एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश या निर्णय के विरुद्ध विशेष अपील मूल विवाद के गुण-दोष और अवमानना का गठन करने वाले आचरण को संबोधित करने के बीच के अंतर पर टिकी होती है। अवमानना अदालत की प्राथमिक जिम्मेदारी यह निर्धारित करना है कि क्या अवमानना हुई है और यदि हुई है, तो उचित दंड लगाना है। मूल विवाद के गुण-दोष अवमानना अदालत के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। हालांकि, जब अवमानना अदालत निर्देश जारी करती है या मूल विवाद के गुण-दोष पर चर्चा करती है, तो वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करती है। ऐसे मामलों में, उच्च न्यायालय में एक विशेष अपील स्वीकार्य होगी। यह सुनिश्चित करता है कि मूल सारभूत मुद्दे अनजाने में अवमानना की कार्यवाही के सीमित दायरे में तय न हो जाएं, जिससे पक्षों के विवाद के निष्पक्ष न्यायनिर्णयन के अधिकार सुरक्षित रहें।

(घ) प्रत्येक मामले की व्याख्या उसके विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अदालतों को उन आदेशों के बीच सावधानीपूर्वक अंतर करना चाहिए जो अवमानना की कार्यवाही के प्रक्रियात्मक पहलुओं को संबोधित करते हैं और जो मूल मामले के सारभूत मुद्दों पर अतिक्रमण करते हैं। यह भेद अवमानना अधिकार क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि 1971 के अधिनियम की धारा 19 के तहत अपीलें उचित रूप से उन मामलों तक सीमित रहें जहां अवमानना के लिए दंडात्मक कार्रवाई की गई है। इस प्रकार, अवमानना के मामलों में विशेष अपील तभी उचित होती है जब अवमानना अदालत मूल विवाद के गुण-दोष को संबोधित करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पक्षों के मूल अधिकारों की रक्षा की जाए। प्रत्येक मामले की व्याख्या में अवमानना अधिकार क्षेत्र की अखंडता बनाए रखने और पीड़ित पक्षों को उचित उपचार प्रदान करने के लिए विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उक्त निर्णय का बार-बार भानु प्रताप सिंह बनाम विक्रान्त वीर एवं अन्य: 2025:AHC:4796-DB के साथ-साथ आलोक कुमार यादव बनाम श्री आशीष कुमार पांडेय: 2025:AHC:152808-DB में पालन किया गया है।

6. चूंकि अवमानना न्यायालय द्वारा पारित आदेश लंबित रिट याचिका के गुण-दोष पर विचार नहीं करता है, इसलिए यह आदेश उन मापदंडों के अंतर्गत नहीं आता है जिनके विरुद्ध अंतर-अदालत अपील/विशेष अपील सुनवाई योग्य हो सके।

7. परिणामस्वरूप, अपील को सुनवाई योग्य न होने के कारण खारिज किया जाता है।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

आर.के./ए.के. शुक्ला

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।